न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 365/2017/223 आर टी ए

1. गुरनाम कौर (पुत्री चनन सिंह) पत्नि हरचन्द उम्र 75 वर्ष जाति सैनी सिख निवासी मकान नं. 250 सुरेशवाला सैनिया तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
2. जसवंतकौर (पुत्री चनन सिंह) पत्नि अवतारसिंह उम्र 70 वर्ष जाति सैनी सिख निवासी चण्डीगढ़ हॉस्पीटल के पास पंतजलि चिकित्सालय के सामने वार्ड नं. 14 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. दर्शन कौर (पुत्री चनन सिंह) पत्नि हरबंशसिंह उम्र 69 वर्ष जाति सैनी सिख निवासी सुभाषनगर वार्ड नं. 17 गिदड़बाहा तहसील गिदड़बाहा जिला मुक्तसर पंजाब।
4. कैलाश कौर (पुत्री चनन सिंह) पत्नि महेन्द्र सिंह उम्र 66 वर्ष जाति सैनी सिख (प्रवासी भारतीय) वर्तमान आबाद House No. 15, Street No. 136, Ave 87 th, Richmond Hill, New York State वर्तमान अस्थायी प्रवासी हाउस नं. 345 गली नं. 7 खेडा रोड़ प्रेमनगर फगवाडा तहसील फगवाडा जिला कपूरथला पंजाब।

––अपीलांटा

बनाम

1. बलविन्द्र कौर पत्नि बलंवतसिंह जाति सैनी सिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0 सं0 594/2016 अनवानी दलविन्द्र सिंह बनाम बलविन्द्र कौर आदि

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप अधिवक्ता अपीलाण्टा

श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–03.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 के पुत्र दलविन्द्र सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि जो कि वादी के पड़दादा चननसिंह के नाम से दर्ज थी तथा चननसिंह द्वारा एक वसीयत दिनांक 19.04.93 को वादी के दादा मनीसिंह व पुत्र वधु सुमित्रा के पक्ष मे की गई थी वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण वसीयत के मुताबिक दर्ज नही हुआ तथा कथन किया कि वादी के दादा मनीसिंह व दादी सुमित्रा व पिता बलसिंह फौत हो गये है। इसलिए मुताबिक वसीयत वादग्रस्त भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिस पर अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वसीयत के मुताबिक वाद वादी डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी दलविन्द्र सिंह ने वाद पत्र मे अपीलांट का पता गलत दर्शाया है। अपीलांट चननसिंह की पुत्रियां है। अपीलांट सं.

1 का गांव सुरेशवाला सैनिया तहसील व जिला फाजिल्का है। अपीलांट सं. 2 का गांव 4 आरबी तहसील पदमपुर है अपीलांट सं. 2 के पति राजकीय सेवा मे कार्यरत है राजकीय सेवा मे नियुक्ति के दौरान अपीलांटा अपने पति के साथ गंगानगर, पदमपुर, सादुलशहर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ व पीलीबंगा मे रही है। अपीलांट सं. 3 का गांव गिदडबाहा है तथा वह अपने पति के साथ गिदडबाहा मे निवास कर रही है। अपीलांट सं. 4 के पति रोडवेज मे परिचालक है तथा अपीलांट सं. 4 फगवाडा तहसील फगवाडा जिला कपूरथला मे रही है सन् 2013 मे House No. 15, Street No. 136, Ave 87 th, Richmond Hill, New York State मे अपने पुत्र के पास चली गई। इस का ज्ञान दलविन्द्र सिंह व रेस्पो0 सं. 1 को शुरू से ही रहा है क्योंकि दलविन्द्र सिंह वादी अपीलांट के भाई का पोता था व रेस्पो0 सं. 1 अपीलांट के भाई की पुत्रवधु थी। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने जानबूझकर अपीलांटस का पता तलवाडा झील दर्शाया है। जबकि अपीलांटस की शादी होने के बाद अपीलांटस कभी भी तलवाडा झील नही रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र मे साधारण सम्मन जारी करने के आदेश पारित किए थे लेकिन उक्त वादपत्र मे अधीनस्थ न्यायालय के बिना आदेश के रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किए गए और उक्त सम्मनो पर पता गलत दर्शाया गया। आदेश दिनांक 18.11.2016 मे मूल रजिस्ट्री डाक ए0डी0 हरदीपसिंह को तामिल होकर प्राप्त करने का उल्लेख किया गया। जबकि अभिकथित हरदीपसिंह अपीलांट का परिवार का सदस्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिकथित प्राप्तकर्ता हरदीपसिंह का अपीलांट के साथ क्या संबंध है, इस संबंध मे कोई जांच नही की।

4. वादपत्र मे दलविन्द्र सिंह ने अभिकथित वसीयत दिनांक 19.04.93 का उल्लेख है। चननसिंह के दो पुत्र मनीसिंह व सुरजनसिंह व चार पुत्रियां अपीलांटस थी। वादपत्र के अभिवचनो के मुताबिक सुरजनसिंह अथवा उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अभिकथित वसीयत के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई तथा अभिकथित वसीयत दिनांक 19.04.1993 को अपीलांटस के भाई मनीसिंह व उनकी भाभी सुमित्रा ने अपने जीवनकाल मे कभी प्रकट नही किया तथा न ही बलवंतसिंह पुत्र मनीसिंह ने अभिकथित वसीयत को अपने जीवनकाल मे प्रकट किया। चननसिंह की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण विरासतन दर्ज हुआ। उस समय अपीलांट का भाई मनीसिंह व भाभी सुमित्रा देवी जीवित थे। उन्होने सदैव इस विरासतन इंतकाल को स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्षा दलविन्द्र सिंह ने कब्जा के संबंध मे कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की। प्रश्नगत भूमि अपीलांटस के आधिपत्य व धारण मे ही रही है। अपीलांट सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन से ऋण भी प्राप्त किया हुआ है जिसका अंकन जमाबंदी मे दर्ज था।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र मियाद धारा 5 अधिनियम पर कथन करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद मानते हुए देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने बाबत निवेदन किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। अपीलांट अपने आप को स्व. चननसिंह की पुत्रियां होना ब्यान करती है लेकिन अपीलांटस के पिता चननसिंह ने अपने जीवन काल मे अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवके से दिनांक 19.04.1993 को प्रश्नगत भूमि की वसीयत अपने लड़के मनीसिंह व पुत्रवधु सुमित्रा पत्नि मनीसिंह के पक्ष मे निष्पादित करवाकर उपपंजीयक कार्यालय टिब्बी से पंजीबद्ध करवाई है। अपीलांट को वसीयत दिनांक 19.04.93 का प्रारम्भ से ही ज्ञान रहा है एवं दिनांक 19.04.93 से लेकर आज तक वसीयत को कोई चुनौती नही दी गई है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने वसीयत को अपनी मोन स्वीकृति प्रदान की हुई है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा नही रहा है। प्रश्नगत भूमि बलविन्द्र कौर का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के राजीनामा के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मध्यनजर रखते हुए मुताबिक वसीयत वादपत्र डिक्री किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज होने से खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटा के पिता चननसिंह के नाम दर्ज थी जो चननसिंह की मृत्यु के बाद विरासतन उनके उत्तराधिकारीगण अपीलांटस के नाम से दर्ज हुई। वादी बलविन्द्र सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चननसिंह द्वारा अपने पुत्र व पुत्रवधु के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत कर घोषणा अनुतोष चाहा गया जिसमे बलविन्द्र सिंह ने अपीलांटा जो कि चनन सिंह की पुत्रियां है, को पक्षकार तो बनाया गया परन्तु इनकी तामील सही सही पते पर नही करवाई जिससे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही घोषणा की डिक्री पारित करवाई है। जबकि वादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद है जो स्व. चननसिंह को अपने पिता शेरसिंह से प्राप्त हुई थी जिसमे अपीलांटा का हक हिस्सा निहित था तथा दावा मे साक्ष्य एवं जवाबदेही रखती है जिन्हे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर

दिया जाकर घोषणा के वाद का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अपीलांटस को वादपत्र के संबंध मे कोई नोटिस/सम्मन प्राप्त नही हुआ जिससे अपीलांटा को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हो सका ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलांटा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

1. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 594/2016 अनवानी दलविन्द्र सिंह बनाम बलविन्द्र कौर आदि मे पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को जवाब साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किया जाकर विधिवत रूप पुनः निर्णय प्रसारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2017 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 158/2015/223 आर टी ए

मन्दरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. नूरनिशा पत्नि स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
2. जुल्फकार पुत्र स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
3. शकुरा पुत्री स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
4. गुरमेलसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
5. इन्द्रसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
6. कौर सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
7. गुरनाम सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
8. जरनैल कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
9. छिन्द्र कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
10. किरणजीत कौर उर्फ रानी पुत्री नरसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
11. केवल सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
12. रणधीर सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 09.10.2014 व डिक्री दिनांक 17.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 251/2013 अनवानी नूरनिशा बनाम सरकार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री नरेश पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3, श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 ता 12 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ

है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 मे अंकित भूमि मे से बैयनामा दिनांक 02.08.1976 मे वर्णित भूमि प.न. 78 / 274 कि.न. 24 व प.न. 78 / 275 कि.न. 4 कुल 2.00 बीघा कम की जाकर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 ता 12 उक्त 2.00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 यथावत रखा रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.10.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ